संयुक्त प्रान्त लघु सिंचाई निर्माण — कार्य अधिनियम, 1920 {संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1, 1920}

THE UNITED PROVINCES MINOR IRRIGATION WORKS ACT, 1920 [U. P. ACT No. 1 OF 1920]

संयुक्त प्रान्त लघु सिंचाई निर्माण—कार्य अधिनियम, 1920¹ {संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1, 1920}

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1936² द्वारा प्रवृत्ति प्रतिबन्धित

गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया (एडेप्टेशन आफ इण्डियन लॉज) आर्डर, 1937 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत

एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत

{लेफ्टीनेन्ट गवर्नर ने 30 अप्रैल, 1920 तथा गर्वनर जनरल ने 01 जून, 1920 को स्वीकृति प्रदान की तथा गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट की धारा 81 के अधीन 03 जुलाई, 1920 को प्रकाशित हुआ।}³

यह इष्टकर है कि नार्दन इण्डिया कैनाल एण्ड ड्रेनेज एक्ट 1873 के उपबंधों द्वारा अपेक्षित पैमाने से अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर सिंचाई के निर्माण कार्यों के निर्माण, सुधार एवं अनुरक्षण की सरकार द्वारा व्यवस्था की जायें; और गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट, 1915 की धारा 79 की उपधारा (2) के अधीन गर्वनर जनरल की पूर्व मंजूरी प्राप्त की जा चुकी है;

अतः एतदद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

भाग 1

प्रारम्भिक

1—— (1) यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त लघु सिंचाई निर्माण कार्य अधिनियम, 1920 कहलायेगा ।

संक्षिप्त नाम और विस्तार

(2) {इसका विस्तार⁵ सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।}⁴

2-- जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में -

परिभाषायें

(1) "निर्माण" के अन्तर्गत (उस के वैयाकरणिक रूप—भेदों तथा सजातीय पदों सहित) परिसीमित समय के भीतर तथा विनिर्दिष्ट रीति से किया गया सुधार भी है;

- उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये गजट 1920, भाग 7 पृष्ठ 73 देखिये।
- इस अधिनियम के प्राविधान राजकीय नलकूपों के लिये नहीं लागू होते (उ० प्र० अधिनियम संख्या 12, 1936 देखिये) ।
- 3. गजट 1920 भाग 7 पृष्ठ संख्या 695 देखिये ।
- 4. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा धारा 1 की उपधारा (2) के लिये प्रतिस्थापित ।
- 5. इस अधिनियम का विस्तार इस सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित क्षेत्रों में स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिनियम या आर्डर के अधीन किया गया है और इसे क्षेत्रों में, स्तम्भ 3 में उल्लिखित विज्ञप्ति, यदि कोई हो, के अधीन उस दिनांक से जो प्रत्येक ऐसे क्षेत्र के सामने स्तम्भ 4 में उल्लिखित है, प्रवृत्त किया गया है ।

क्षेत्र	अधिनियम अथवा आर्डर जिनके	विज्ञप्ति, यदि कोई है,	तिथि जिसके प्रवृत्त,
	अधीन विस्तार किया गया	जिनके अधीन प्रवृत्त	किया गया
		किया गया	
1	2	3	4
1– जिला रामपुर	रामपुर (एप्लीकेशन आफ लाज)		30 दिसम्बर, 1949
	ऐक्ट 1 1950		
2– जिला बनारस	बनारस (एप्लीकेशन आफ	संख्यायें ३२६२ (१) तथा	30 नवम्बर, 1949
	लाज) आर्डर 1949	3262 (2) / 17, दिनांक	
		30 नवम्बर, 1949	
3– जिला टिहरी गढ़वाल	टिहरी गढ़वाल (एप्लीकेशन	तदैव	तदैव
	आफ लाज) आर्डर 1949		

{धारा 3-6}

- (2) ''लघु सिंचाई निर्माण कार्य'' या ''निर्माण कार्य'' का तात्पर्य किसी ऐसे सिंचाई, आप्लावन, जल–निकास या रक्षात्मक निर्माण कार्य या ऐसे निर्माण कार्य की प्रणाली से, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम, जिसके {राज्य सरकार} द्वारा निर्माण या अनुरक्षण के संबंध में उस सरकार को यह प्रतीत हो कि उसके संबंध में नार्दन इण्डिया कैनाल ऐंड ड्रैनेज ऐक्ट द्वारा अवेक्षित पैमाने से अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर कार्य करने की आवश्यकता है;
- (3) 'स्वामी'' के अन्तर्गत मातहतदार, दवामी कास्तकार, पट्टेदार दवामी, शरहमुअययन काश्तकार, तथा बन्धककर्ता या कब्जा रखने वाला बन्धकदार भी है; किन्तु वह बन्धककर्ता या बन्धकदार जिसका कब्जा न हो या कुछ वर्षों की अवधि का पट्टेदार नहीं है, और स्वामित्व का उच्चतर तथा निम्नतर अधिकार साथ—साथ हो, वहां उच्चतर अधिकार का स्वामी भी नहीं है ।

भाग 2

योजना का तैयार किया जाना

3— {राज्य सरकार}¹ कलेक्टर या किसी अन्य व्यक्ति को इस बात की जांच करने के लिये निदेश दे सकेगी कि किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र में किसी प्रकार के लघु सिंचाई निर्माण कार्य का निर्माण या अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ किया जाना बांछनीय है या नहीं।

राज्य सरकार का प्रारम्भिक आदेश

4— (1) तदुपरान्त कलेक्टर संबंधित गांव या गांवों में उस स्थान को, जहां और वह दिनांक (जो नोटिस के प्रकाशन के दिनांक के बाद के बयालीस दिनों से पूर्व का न होगा) जिसकी जांच की जायेगी, विनिर्दिष्ट करते हुये एक नोटिस प्रकाशित करेगा, और धारा 47 के अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन रहते हुये, नोटिस की एक प्रति किसी एक ऐसे स्वामी पर तामील करायेगा, जिसकी भूमि के संबंध में उसे यह विश्वास हो कि प्रस्थापित निर्माण कार्य के निर्माण या अनुरक्षण से उसके प्रभावित होने की संभावना है।

प्रारम्भिक आदेश का प्रकाशन

(2) नोटिस में प्रस्तावित निर्माण या अनुरक्षण का सामान्य स्वरूप उपवर्णित होगा और उसमें ऐसे समस्त हितबद्व व्यक्तियों से, जिन पर उससे प्रभाव पड़ने की संभावना हो, कोई ऐसी आपित्त या सुझाव जो वह प्रस्तुत करना चाहें, नोटिस में विहित दिनांक को या उससे पूर्व प्रस्तुत करने, और जांच करने के लिये नियत दिनांक की ऐसी आपित्त या सुझाव के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा जायेगा ।

5— भूमि का ऐसा प्रत्येक स्वामी, जिसकी भूमि के ऐसे निर्माण या अनुरक्षण से प्रभावित होने की संभावना हो और जो नोटिस द्वारा अनुज्ञात अविध के भीतर, विहित रीति से कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत नहीं करता है उसके संबंध में इस अधिनियमों के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायेगा कि उसने अपनी सहमति दे दी है ।

स्वामियों की विवक्षित सहमति

6— (1) यदि कलेक्टर या जांच करने के लिये नियुक्त अन्य व्यक्ति, यथाविधि प्रस्तुत की गयी किसी आपित्त या सुझाव पर विचार करने तथा ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात, जो वह आवश्यक समझे, यह पाये कि निर्माण कार्य के निर्माण या अनुरक्षण से प्रभावित होने के लिये सम्भाव्य भूमि से कम से कम आधे स्वामी ऐसे निर्माण या अनुरक्षण के लिये सहमत है या सहमत हुये समझे जाते है तो वह रिपोर्ट में, जो [राज्य सरकार] को प्रस्तुत की जायेगी, अपनी कार्यवाही का विवरण समाविष्ट करेगा और ऐसी रिपोर्ट में उस रीति के संबंध में भी प्रस्थापनायें करेगा जिसके अनुसार [राज्य सरकार] की उसके द्वारा किये गये पूंजीगत या आवर्ती व्यय के लिये क्षति—पूर्ति की जानी है या जिसकी प्रतिपूर्ति उसे स्वयं करनी है।

कलेक्टर द्वारा जांच और रिपोर्ट

एंडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेंट) के लिये प्रस्थापित जो एंडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेट) के लिये प्रस्थापित किया गया था ।

धारा 7-10}

- (2) यदि ऐसी भूमि के, जो ऐसे निर्माण या अनुरक्षण से प्रभावित हो या जिसके ऐसे प्रभावित होने की संभावना हो, आधे से अधिक स्वामी निर्माण कार्य के निर्माण या अनुरक्षण के विरुद्ध हो तो केवल इसी आशय की रिपोर्ट (राज्य सरकार) को प्रस्तुत की जायेगी ।
- 7— पूर्ववर्ती धारा की उपधारा (1) में निर्मित रिपोर्ट से प्राप्त होने पर {राज्य सरकार} ऐसी और जांच के पश्चात, यदि हो जो वह आवश्यक समझे (सरकारी गजट} में निर्माण या अनुरक्षण या दोनों की योजना का प्रारूप तैयार करने या निर्देश देने वाली अधिसूचना प्रकाशित कर सकेगी।

योजना का प्रारूप तैयार किये जाने का निदेश देने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना

8— ऐसे प्रकाशन पर ऐसा कोई अधिकारी, जिसे {राज्य सरकार} सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ सशक्त करें, धारा 3 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर किसी भी भूमि पर या उससे लगी हुई भूमि पर किसी ऐसे कार्य को करने के प्रयोजनार्थ, जो उसकी राय में योजना का प्रारूप तैयार करने के लिये आवश्यक हो, प्रवेश कर सकेगा या किसी अन्य व्यक्ति को प्रवेश करने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकेगा, परन्तु किसी भवन या किसी आवासगृह से संलग्न प्रांगण या बगीचे में प्रवेश करने से पूर्व समुचित सूचना दी जायेगी।

योजना का प्रारूप तैयार करने वाले अधिकारी की शक्तियां

9— धारा 8 क अधीन प्रवेश की दशा में उक्त धारा के अधीन सशक्त अधिकारी ऐसे प्रवेश के समय ऐसी किसी भी क्षति के लिये प्रतिकर निश्चित करेगा, जो उक्त धारा के अधीन की गई किसी कार्यवाही के फलस्वरूप हुई हो और इस प्रकार विधिवत किसी धनराशि की पर्याप्तता के संबंध में विवाद होने की दशा में वह उसे विनिश्चय के लिये कलेक्टर के पास तुरन्त निर्दिष्ट करेगा और ऐसा विनिश्चय अंतिम होगा ।

धारा 8 के अधीन प्रवेश के फलस्वरूप हुई क्षति के लिये प्रतिकर

10—— (1) धारा 8 के अधीन {राज्य सरकार} द्वारा सशक्त अधिकारी {राज्य सरकार} को योजना का प्रारूप प्रस्तुत करेगा और ऐसी योजना में जहां तक वह आवश्यक समझे, निम्नलिखित विशिष्टियों का समावेश किया जायेगा तथा उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेजें भेजी जायेगी; अर्थात्;

योजना का प्रारूप

- (क) निर्माण या अनुरक्षण के लिये प्रस्तावित निर्माण कार्य की विशिष्टियां तथा नक्शा और उसके कारण अन्तर्वलित पूंजीगत या आवर्ती व्यय का प्राक्कलन ;
- (ख) वह अनुमानित समय, जो निर्माण की योजना के पूरी होने के लिये अपेक्षित हो :
 - (ग) विवरण जिसमें निम्नलिखित के ब्यौरे हो ---
 - (1) वह भूमि और भूमि में, जिन्हें उसकी राय में योजना को कार्यान्वित करने के लिये अर्जित करना आवश्यक होगा :
 - (2) ऐसी भूमि का अंश और उसमें हित, जो बातचीत द्वारा अर्जित किये जा सकते है;
 - (3) ऐसी भूमि का अंश और उसमें हित, जिन्हें भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन अर्जित करना आवश्यक होगा; और
 - (4) अर्जन के प्रयोजन के लिये अपेक्षित प्रत्येक व्यय के संबंध में प्राक्कलन ;

1894 का 1

- 1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेंट) के लिये प्रस्थापित जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेट) के लिये प्रस्थापित किया गया था ।
- 2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा ''गजट'' के लिये प्रस्थापित ।

धारा 11}

- (घ) वह सीमा जहां तक उसकी दशा में योजना को कार्यान्वित करने से सम्पत्ति को पहुंचने वाली क्षति के लिये प्रतिकर देना आवश्यक होगा और इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित व्यय ;
 - (ङ) योजना से लाभान्वित होने वाला क्षेत्र ;
 - (च) निर्माण कार्य के प्रबंध की रीति ;
- (छ) धारा 19 के प्रति निर्देश से वह रीति या रीतियां जिससे या जिनमें {राज्य सरकार} वद्यार किये गये व्यय के लिये उसकी प्रतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति की जायेगी ;
- (ज) जहां कि लाभान्वित क्षेत्र के समस्त या उसमें से कोई स्वामी सहमत हों कि –
 - (1) वे {राज्य सरकार} द्वारा योजना के निष्पादन के संबंध में समय—समय पर किये गये किसी व्यय या उस पर विनिर्दिष्ट दर से ब्याज के लिये या दोनो के लिये {राज्य सरकार} 1 के प्रति स्वयं उत्तरदायी होगें; या
 - (2) वे {राज्य सरकार} द्वारा योजना के निष्पादन के लिय {राज्य सरकार} की निश्चित संविदा धनराशि या धनराशियों का (उनके बकायों पर विनिर्दिष्ट दर से ब्याज सिहत) भुगतान करेगे ;

वहां ऐसे स्वामियों द्वारा इनमें से किसी भी आशय का निष्पादित किया गया करार:

- (झ) किसी नदी का या प्राकृतिक धारा के रूप में बहने वाले किसी सोते का या किसी झील या गतिहीन जल के अन्य प्राकृतिक संग्रह का विवरण, जिसके जल का उपयोग या प्रयोग निर्माण कार्य के लिये किया जाना चाहिये;
 - (ञ) कोई अन्य विषय जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हों।
- (2) ऐसी योजना में ऐसी विशिष्टियां भी समाविष्ट होगी और उसके साथ कोई ऐसी दस्तावेजें होगी, जो धारा 47 के अधीन बनाये गये किसी नियम द्वारा अपेक्षित हों ।
- (3) उपधारा (1) के खण्ड (ज) में निर्दिष्ट किसी करार में यह व्यवस्था की जा सकेगी कि उसमें अभिव्यक्त की गयी धनराशि का भुगतान करने पर निर्माण कार्य भाग 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुये, करार निष्पादित करने वाले स्वामियों में निहित होगा और उसके द्वारा अनुरक्षित किया जायेगा ।
- 11— (1) {राज्य सरकार} के संतोषानुसार योजना का प्रारूप तैयार हो जाने पर एक नोटिस जिसमें ऐसी विशिष्टियां दी गई हो जो तदर्थ नियम द्वारा अपेक्षित हो, और वह स्थान तथा समय बताया गया हो जहां और जब योजना निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी, ऐसे प्रत्येक गांव के किसी प्रमुख स्थान में नोटिस की एक प्रति चिपकाकर, जिसकी भूमि पर कलेक्टर की राय में योजना के कार्यान्वित किये जाने के फलस्वरूप प्रभाव पड़ने की संभावना हो, प्रकाशित किया जायेगा ।
- (2) कलेक्टर इसी आशय का नोटिस किसी ऐसी भूमि के जिस पर योजना से प्रभाव पड़ने की संभावना हो, स्वामी या अध्यासी पर या ऐसे स्वामी या अध्यासी के अभिकर्ता पर भी तामील करा सकेगा।
- (3) उपधारा (1) के अधीन नोटिस प्रकाशित हो जाने पर कोई व्यक्ति जिस पर योजना से प्रभाव पड़ने की संभावना हो, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर कलेक्टर को योजना के संबंध में अपनी लिखित आपित्त प्रस्तुत कर सकेगा ।

योजना के प्रारूप का प्रकाशन

धारा 12-15}

- (4) कलेक्टर {राज्य सरकार} को ऐसी समस्त आपित्तियां, जो उसे प्रस्तुत की जाये, ऐसी किसी अभ्युक्ति के साथ भेजेगा, जो वह ऐसी आपित्तियों के संबंध में करना चाहें।
- 12— (1) योजना के प्रारूप में ऐसे परिष्कार के पश्चात, जो पूर्ववर्ती धारा के अधीन की जाने वाली आपित्तयों के कारण अपेक्षित प्रतीत हो, {राज्य सरकार} यदि वह योजना के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही करना उचित समझे तो, उसे यथा अनुमोदित रूप में {सरकारी गजट} में प्रकाशन द्वारा अधिसूचित कर सकेगी और तत्पश्चात वह ऐसी अनुमोदित योजना को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्यान्वित करने की हकदार होगी:

अनुमोदित योजना का राज्य सरकार द्वारा अपनाया जाना

प्रतिबंध यह है कि यदि {राज्य सरकार} की राय में योजना में सारभूत परिवर्तन किया गया है जो धारा 11 के उपबंध संशोधित योजना पर लागू होगें ।

- (2) यथानुमोदित योजना का उपधारा (1) के अधीन प्रकाशन इस बात का निश्चयात्मक सबूत होगा कि उसमें अभिलिखित कोई सहमित यथाविधि प्राप्त कर ली गई है, उक्त योजना उसमें तदर्थ विनिर्दिष्ट क्षेत्र को (जिसे एतत्पश्चात् लाभान्वित क्षेत्र कहा गया है) लाभान्वित करेगी और उक्त योजना सब प्रकार से यथाविधि तैयार और अनुमोदित की गयी है।
- 13— धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित योजना में, किसी नदी या प्राकृतिक धारा के रूप में बहने वाले किसी सोते के या किसी झील या गतिहीन जल के अन्य प्राकृतिक संग्रह के जल का योजना से संबंधित निर्माण कार्य के प्रयोजन के लिय उपयोग या प्रयोग करने के आशय की सूचना नार्दन इण्डिया कैनाल ऐण्ड ड्रैनेज ऐक्ट, 1873 की धारा 5 के अधीन ऐसी अधिसूचना के रूप में प्रवर्तित होगी, जिसमें यह घोषणा की गई हो कि अधिसूचना के दिनांक से तीन मास की समाप्ति के पश्चात उक्त जल का इस प्रकार उपयोग या प्रयोग किया जायेगा।

अधिसूचित योजना का 1873 के ऐक्ट 8 की धारा 5 के अधीन अधिसूचना के रूप में प्रवर्तन

1873 का 3

14—— (1) {राज्य सरकार} धारा 12 के अधीन अधिसूचित किसी भी अनुमोदित योजना को समय—समय पर परिष्कृत कर सकेगा या उसके स्थान पर दूसरी योजना प्रतिस्थापित कर सकेगी और धारा 12 के अधीन अधिसूचित योजना पर लागू होने वाले इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार परिष्कृत या प्रतिस्थापित किसी योजना पर तत्पश्चात लागू होगें।

अनुमोदित योजना का परिष्कार या उसके स्थान पर नयी योजना का प्रतिस्थापन

(2) प्रतिबंध यह है कि किसी योजना के संबंध में इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित कोई सहमति, प्रकाशन या अन्य बात, किसी योजना में परिवर्तन या किसी वर्तमान योजना के स्थान पर नयी योजना के प्रतिस्थापन के संबंध में भी आवश्यक होगी ।

भाग 3

निर्माण और अनुरक्षण

15— {राज्य सरकार} सामान्य या विशेष आदेश द्वारा एक अधिकारी नियुक्त कर सकेंगी (जिसे एतत्पश्चात प्रभारी अधिकारी कहा गया है) जो ऐसे लघु सिंचाई निर्माण कार्य के निर्माण या अनुरक्षण का प्रभारी होगा जिसके संबंध में कोई अनुमोदित योजना प्रकाशित की गयी हो ।

प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति

- 1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेंट) के लिये प्रस्थापित जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेट) के लिये प्रस्थापित किया गया था ।
- 2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा ''गजट'' के लिये प्रस्थापित ।

(धारा 16)

16—— (1) प्रभारी अधिकारी तथा ऐसे किसी अधिकारी की, जिसका वह अधीनस्थ हो, निम्नलिखित शक्तियां होगी; अर्थात् :— प्रभारी अधिकारी की शक्तियां

(क) निर्माण कार्य के संबंध में नार्दन इण्डिया कैनाल ऐण्ड ड्रैनेज ऐक्ट, 1873 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना ; 1873 का 8

- (ख) किसी व्यक्ति की लिखित आदेश द्वारा कोई ऐसा कार्य करने से रोकना जिससे उसकी राय में निर्माण—कार्य की दक्षता कम होती हो या कम होने की संभावना हो:
- (ग) लाभान्वित क्षेत्र के भीतर भूमि के किसी स्वामी या अध्यासी से लिखित आदेश द्वारा, उस क्षेत्र के अन्तर्गत किसी ऐसी सम्पत्ति के संबंध में, जो उसकी हो या जिस पर उसका कब्जा हो, यह अपेक्षा करना है कि वह ऐसी कार्यवाही करें या करने की अनुज्ञा दे जो निर्माण कार्य के परिरक्षण या अनुरक्षण के लिये आवश्यक प्रतीत हो या जो लाभान्वित क्षेत्र के भीतर रजबही द्वारा या अन्यथा निर्माण कार्य के लाभ को बढाने या उसका विस्तार करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक प्रतीत हो;
- (घ) निर्माण कार्य का निर्माण या अनुरक्षण करने का उसके संबंध में हुई किसी दुर्घटना के प्रभाव का निवारण या उपचार करने या सम्पूर्त किये गये जल के प्रयोग का निरीक्षण या विनियमन करने या उक्त निर्माण द्वारा सिंचित अथवा किसी जल उपशुल्क अथवा अन्य धनराशि से प्रभार्य भूमियों की माप लेने या निर्माण कार्य के उचित विनियमन या प्रबन्ध के लिये कोई अन्य आवश्यक कार्य करने के प्रयोजन के लिये किसी भूमि में प्रवेश करना या किसी अन्य व्यक्ति को प्रवेश के लिये प्राधिकृत करना;
- (ङ) आपातिक स्थिति में, ऐसी भूमि के स्वामी या अध्यासी से, जो निर्माण कार्य से लाभ उठा रहा हो, बाजार दर पर ऐसे श्रमिक उपलब्ध कराने में सहायता करने की अपेक्षा करना जो निर्माण कार्य के परिरक्षण या अनुरक्षण या अनुरक्षण के लिये आवश्यक हो:
- (च) कोई ऐसा कार्य करना या किये जाने से रोकना जिसके संबंध में उसके द्वारा खण्ड (ख) और (ग) के अधीन जारी किया गया हो, प्रतिबन्ध यह है कि जिस व्यक्ति को ऐसा आदेश दिया गया हो, और वह उस आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसका पालन करने में असफल रहा हो, और प्रतिबंध यह भी है कि खण्ड (ग) के अधीन जारी किये गये किसी आदेश के संबंध में इस खण्ड के अधीन कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसा आदेश द्वारा 17 की अधीन अंतिम न हो गया हों;
- (छ) प्रभागीय नहर अधिकारी होने की दशा में किसी जलमार्ग का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को, ऐसे जलमार्ग के जल के किसी ऐसी सार्वजनिक सड़क या नहर या जल निकास की नाली के, जो उक्त जलमार्ग के बनाये जाने से पूर्व प्रयोग में लायी जाती हो, ऊपर से बहाव के लिये उपयुक्त पुलों, पुलियों या अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के लिये या किसी ऐसे निर्माण कार्य की मरम्मत के लिये, लिखित आदेश जारी करना और जिस व्यक्ति को ऐसा आदेश जारी किया गया हो उसके समुचित समय के भीतर आदेश का पालन करने में असफल होने पर उस व्यक्ति के व्यय पर जो धारा 28 के अधीन वसूल किया जा सकेगा, अपेक्षित कार्यवाही स्वयं करना ।
- (2) उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी जलमार्ग के या किसी जलमार्ग के निर्माण के लिये अपेक्षित किसी भूमि या भूमि में अधिकार के, ऐसे प्रतिकर का भुगतान करने पर, जो धारा 40 में विहित रीति से अवधारित किया जायेगा, अन्तरण का आदेश देने की शक्ति भी होगी।

धारा 17-20}

17—— (1) धारा 16 के अधीन प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेशों के विरूद्ध पन्द्रह दिनों के भीतर ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को, जैसा कि {राज्य सरकार}¹ नियम द्वारा निर्देशित करें, लिखित अपील की जा सकेगी किन्तु जब तक उसके विरूद्ध विहित रीति से अपील न की जाये, वे अंतिम होगें।

प्रभारी अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील

(2) अपील प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

18—— (1) कोई भूमि या कोई भूमि में कोई हित, जिसे {राज्य सरकार} की राय में धारा 12 के अधीन अधिसूचित योजना के अनुसरण में अर्जित करना आवश्यक हो, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रयोजनों के लिये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये अपेक्षित समझा जायेगा ।

भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894 का 1

(2) उक्त अधिनियम को धारा 23 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिये उस अधिनियम की धारा 6 के अधीन ऐसी भूमि से संबंधित घोषणा के प्रकाशन के दिनांक को उसका बाजार मूल्य इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रारम्भिक आदेश जारी किये जाने के समय का बाजार मूल्य समझा जायेगा ।

भाग 4

व्यय की वसूली

19— {राज्य सरकार} किसी ऐसे व्यय के लिये जिसे वह निर्माण या अनुरक्षण की या दोनों की किसी अनुमोदित योजना के सम्पादन में करे या करने के लिये सहमत हो, निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक ढंग से स्वयं क्षतिपूर्ति या प्रतिपूर्ति कर सकेगी, अर्थातः

राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की वैकल्पिक रीतियां

- (क) लाभान्वित क्षेत्र के भीतर भूमि के स्वामियों से ऐसे एकरूप उपशुल्क या भेदात्मक उपशुल्कों के उदग्रहण द्वारा जो {राज्य सरकार} द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार ऐसी भूमि पर अधिरोपित किये गये हो, चाहे ऐसा लाभ प्रत्यक्ष सिंचाई, रिसाव, आप्लावन, कुंआ में जल सम्पूर्ति के सुधार या अत्यधिक जल के निकास के रूप में हो या अन्यथा; या
- (ख) धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) (1) या खण्ड (ज) (2) के अधीन करार निष्पादित करने वाले किन्हीं स्वामियों से उस करार के अधीन देय किन्हीं धनराशियों को वसूली करके ; या
- (ग) निर्माण कार्य के {राज्य सरकार} द्वारा प्रबन्ध किये जाने के फलस्वरूप होने वाली प्रकीर्ण आय की वसुली करके।

20—— (1) इस अधिनियम के अधीन किसी उपशुल्क के निर्धारण या उदग्रहण के विरूद्व अपील उस अधिकारी को की जा सकेगी, जिसे नियम द्वारा तदर्थ सशक्त किया गया हो।

उपशुल्कों के विरूद्व अपील

- (2) प्रत्येक अपील में अपील का खर्च अपील का निर्णय करने वाले अधिकारी के विवेकाधीन होगा ।
- (3) इस धारा के अधीन अपीलकर्ता के विरुद्ध अधिनिर्णीत खर्च अपीलकर्ता से इस प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानो वह अपीलकर्ता द्वारा देय भूमि मालगुजारी का बकाया हो ।

एंडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेंट) के लिये प्रस्थापित जो एंडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेट) के लिये प्रस्थापित किया गया था ।

धारा 21-27}

21— किसी उपशुल्क के सम्बन्ध में कोई अपील तब तक नहीं की जा सकेगी जब तक कि वह उप–शुल्क को प्रथम बार मांग किये जाने के समय से तीस दिन के अन्दर प्रस्तुत न की जायें। अपील का परिसीमा काल

22— किसी उपशुल्क निर्धारण के विरूद्ध और किसी ऐसे व्यक्ति के, जिस पर उपशुल्क निर्धारित किया जाय या लगाया जाये, दायित्व पर कोई आपित्त इस अधिनियम में या उसके अधीन व्यवस्थित रीति या अधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य रीति से या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा न की जा सकेगी:

साधारण न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्तन

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात किसी व्यक्ति की सिविल न्यायालय से यह घोषणा प्राप्त करने में निवारित न करेगी कि वह इस आधार पर कि वह उस भूमि का स्वामी नहीं है, जिसके संबंध में निर्धारण किया गया है, ऐसे निर्धारण के संबंध में दायी नहीं है और निर्धारण अधिकारी ऐसी घोषणा में बाध्य होगा ।

23— जब उपशुल्क ऐसी भूमि पर लगाया जाय जो संयुक्त रूप से कई स्वामियों द्वारा धृत हो तो वह प्रबन्धक या अन्य व्यक्ति द्वारा जो ऐसी भूमि के लगान या लाभ प्राप्त करता हो, देय होगा, जो ऐसे संयुक्त स्वामियों की ओर से इस प्रकार भुगतान की गई किसी धनराशि को उनसे वसूल कर सकेगा।

कई अध्यातियों द्वारा भूमि धृत होने की दशा में उस पर लगाया गया उपशुल्क किसके द्वारा देय होगा।

24— (1) किसी अधिनियमिति में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी किन्तु इस संबंध में बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये यह है कि जहां इस अधिनियमों के अधीन निर्मित या अनुरक्षित लघु सिंचाई निर्माण कार्य से लाभ प्राप्त हों, वहां ऐसे लाभों को चाहें वे प्रत्यक्ष सिंचाई की व्यवस्था या रिसाव, आप्लावन, कुओं में जल आपूर्ति के सुधार या अत्यधिक जल के निकास के कारण या अन्यथा हो, लगान में वृद्धि किये जाने का आधार समझा जाये।

लगान में वृद्धि और कमी

(2) इसी प्रकार किसी लघु सिंचाई निर्माण कार्य से प्राप्त होने वाले किन्ही लाभों की समाप्ति या उसका बन्द हो जाना लगान में कमी किये जाने का आधार समझा जायेगा ।

25— जैसा कि धारा 47 के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित किया जाये, उसके सिवाय किसी स्थानीय क्षेत्र में पूर्ववर्ती धारा के अधीन समस्त दावे ऐसे राजस्व न्यायालय में वाद संस्थित करके किये जायेगें, जो ऐसे स्थानीय क्षेत्र में लगान में वृद्धि या कमी की जाने के वादों पर विचार करने के लिए सशक्त हों और न्यायालय ऐसे वाद के निवारण में, उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो ऐसे स्थानीय क्षेत्र में लगान में वृद्धि या कमी की जाने के वादों के विचारण के लिये विहित हो ।

लगान में वृद्धि या कमी किये जाने के संबंध में प्रक्रिया

26— जब धारा 19 के खण्ड (ख) के अधीन लाभान्वित क्षेत्र के भीतर भूमि के तत्कालीन स्वामियों से कोई धनराशि वसूलीय हो तो वे उसके लिये संयुक्ततः और पृथकतः दायी होगें ।

धारा 19 के खण्ड (ख) के अधीन देय धनराशियों का

27— (1) किसी ऐसे लघु सिंचाई निर्माण कार्य के निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण के संबंध में जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की दशा में इसके अधीन निर्मित या अनुरक्षित किया गया होता, इस अधिनियम के प्रवृत होने के दिनांक के पूर्ववर्ती बारह वर्ष की अविध के भीतर निष्पादित समस्त करार वहां तक जहां तक कि उनके निबन्धन इस अधिनियम से संगत हो, इस अधिनियम के अधीन निष्पादित करार समझें जायेगें और तद्नुसार प्रभावी होगें।

इस अधिनियम के पूर्व निस्पादित करारों का प्रवर्तन

धारा 28-31}

- (2) उपधारा (1) की कोई बात किसी लघु सिंचाई निर्माण कार्य के संबंध में ऐसे किसी करार पर तब तक लागू नहीं होगी, जब तक कि {राज्य सरकार} (सरकारी गजट) में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर दे कि निमार्ण कार्य इस (धारा) के उपबंधों के अधीन है ।
- 28— कोई धनराशि, जो इस अधिनियम के अधीन वैध रूप से देय हो और प्रभारी अधिकारी द्वारा इस प्रकार देय प्रमाणित हो और कोई धनराशि जो इस अधिनियम के अधीन अन्यथा वसूलीय न हो, किन्तु धारा 27 में निर्दिष्ट करार के अधीन देय हो, तथा जो उसके देय होने के दिनांक के पश्चात अंश दत्त रहे। कलेक्टर द्वारा किसी व्यक्ति से जो उसके दायी है, इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह भूमि मालगुजारी का बकाया हो ।

प्रमाणित देयों तथा ऋणों का भूमि मालगुजारी के रूप में वसूलीय होना

29— (1) प्रभारी अधिकारी या कलेक्टर किसी व्यक्ति से उसके द्वारा कोई ऐसी धनराशि वसूल किये जाने तथा उसे {राज्य सरकार} की भुगतान किये जाने के लिये करार निष्पादित कर सकेगा, जो इस अधिनियम के अधीन किसी तीसरे पक्षकार द्वारा देय हो ।

बकायों को वसूली के लिये संविदा करने की शक्ति

- (2) ऐसा करार निष्पादित हो जाने पर उक्त व्यक्ति ऐसी धनराशि वाद द्वारा इस प्रकार वसूल कर सकेगा मानो वह उस भूमि के संबंध में, जिसकी बाबत ऐसी धनराशि देय हो या जल की सम्पूर्ति की गई हो या उसका उपयोग किया गया हो, उसे देय लगान का बकाया हो ।
- (3) यदि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी धनराशि के भुगतान करने में व्यतिक्रम करेगा, जो इस धारा के अधीन उसके द्वारा वसूल की जाती हो, तो ऐसी धनराशि कलेक्टर द्वारा धारा 28 के अधीन उससे वसूल की जा सकेगी और यदि ऐसी धनराशि या उसका कोई अंश इसके बाद भी तीसरे पक्षकार द्वारा देय रह जाये जो इस प्रकार देय धनराशि या उसका कोई अंश कलेक्टर द्वारा तीसरे पक्षकार से उसी रीति से वसूल किया जा सकेगा ।
- 30— (1) धारा 29 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति के साथ करार न होने की दशा में, कलेक्टर महाल के किसी लम्बरदार से किन्ही ऐसी धनराशियों के वसूल तथा भुगतान करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो ऐसे महाल में किसी भूमि या जल के संबंध में किसी तीसरे पक्षकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय हों, और इस प्रकार अपेक्षित किसी धनराशि का भुगतान करने में असफल रहने की दशा में वह उसे भूमि मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल कर सकेगा।

देयों की वसूली के लिये लम्बरदारों से अपेक्षा किया जा सकना

- (2) जहां कि लम्बरदार उपधारा (1) के अधीन किसी धनराशि का भुगतान करने के लिये अपेक्षित हो वहां उसके द्वारा या उसकी ओर से कलेक्टर द्वारा किसी तीसरे पक्षकार से भूमि मालगुजारी और पारिश्रमिक फीस की वसूली के संबंध मे तत्समय लागू विधि के समस्त उपबंध उसके लिये दायी तीसरे पक्षकार से ऐसी धनराशियों की वसूली पर इस प्रकार लागू होगें मानों वे इस अधिनियम में अधिनियमित किये गये हों।
 - 31-- धारा 28, 29 तथा 30 की कोई बात जुर्मानों पर लागू न होगी ।

जुर्मानों के संबंध में व्यावृत्ति

^{1.} एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेंट) के लिये प्रस्थापित जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (गवर्नमेट) के लिये प्रस्थापित किया गया था ।

^{1.} एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा ''गजट'' के लिये प्रस्थापित ।

^{2.} इस धारा के अन्तर्गत विज्ञप्तियों के लिये उददेश्यों एवं कारणों का विवरण देखिये ।

(धारा 32-34)

भाग 5

शास्तियां और निवारक कार्रवाई

32— जो कोई उचित प्राधिकार के बिना और स्वेच्छा से निम्नलिखित में से कोई कार्य करेगा; अर्थात् —

अपराध

- (1) किसी निर्माण कार्य की क्षति पहुँचायेगा, उसमें परिवर्तन करेगा, उसे बढ़ायेगा या उसमें बाधा डालेगा ;
- (2) किसी निर्माण कार्य में जल की सम्पूर्ति में या उससे, उसके अन्दर से उसके ऊपर से या नीचे से जल के प्रवाह में हस्तक्षेप, वृद्धि या कमी करेगा ;
- (3) किसी निर्माण कार्य या उसके भाग के अनुरक्षण के लिये या किसी निर्माण कार्य अथवा उसके किसी भाग के उपयोग के लिये उत्तरदायी होते हुये, उसके जल का अपव्यय रोकने के लिए उचित पूर्वोपाय करने में उपेक्षा करेगा या उससे जल के प्राधिकृत वितरण में हस्तक्षेप करेगा या ऐसे जल का अप्राधिकृत रीति से उपयोग करेगा;
- (4) किसी निर्माण कार्य के जल को इस प्रकार दूषित या गन्दा करेगा कि वह उन प्रयोजनों के लिये कम उपयुक्त रह जाये, जिनके लिये उसका साधरणतया उपयोग किया जाता है;
- (5) किसी लोक सेवक के प्राधिकार से लगाये गये जल स्तर चिन्ह या जलमापी को नष्ट करेगा या हटायेगा ;
- (6) पशुओं या गाड़ियों को किसी निर्माण कार्य पर या उसके आर—पार इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के प्रतिकृल निकालेगा या निकलवाएगा ;
- (7) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी ऐसे नियम का उल्लंघन करेगा, जिसका उल्लंघन दण्डनीय घोषित किया गया हो, या कलेक्टर अथवा अन्य अधिकारी के किसी वैध आदेश की अवज्ञा करेगा :

वह किसी मैजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्ध होने पर कारावास का, जो एक मास से अधिक अविध का न होगा या जुर्माने का, जो पचास रूपये से अधिक का न होगा, या चालू रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त जुर्माने का, जो प्रथम दोषसिद्ध के दिनांक के पश्चात उस प्रत्येक दिन के लिये जिसको अपराध चालू रहेगा, दस रूपये तक का हो सकेगा, भागी होगा।

33— इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये किसी व्यक्ति का किसी अन्य विधि के अधीन अभियोजन निवारित न करेगी, परन्तु कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिये दो बार दण्डित न किया जायेगा।

व्यावृत्ति

34— कोई व्यक्ति, जो किसी निर्माण कार्य का प्रभारी हो या उसमें सेवायोजित हो, उसकी भूमियां या भवनों से किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह निम्नलिखित में से कोई भी अपराध करते देखें, हटा सकेगा या बिना वारंट के अभिरक्षा में ले सकेगा और विधि के अनुसार कार्यवाही किये जाने के लिये अविलम्ब किसी मैजिस्ट्रेट के समक्ष या निकटतम पुलिस थाने को ले जा सकेगा या भेज सकेगा :—

सरसरी तौर पर गिरफ्तारी

- (क) जानबूझ कर किसी निर्माण कार्य को क्षति पहुँचाना या उसमें बाधा डालना ;
- (ख) उचित प्राधिकार के बिना किसी निर्माण कार्य में या उससे जल की सम्पूर्ति या जल के प्रवाह में इस प्रकार हस्तक्षेप करना कि ऐसा निर्माण कार्य खतरे में पड़ जाये, उसे क्षति पहुँचे या उसकी उपयोगिता कम हो जाये।

(धारा 35-36)

35—इस भाग में शब्द "निर्माण कार्य" के अन्तर्गत किसी ऐसे लघु सिंचाई निर्माण कार्य के प्रयोजनार्थ, जिसके संबंध में कोई अनुमोदित योजना प्रकाशित की गई हो {राज्य सरकार} द्वारा अध्यासित सभी भूमियां या ऐसी भूमियों पर {राज्य सरकार} द्वारा अध्यासित अथवा उसके सभी भवन, मशीनरी, बाढ़, फाटक तथा अन्य संरचनायें, वृक्ष, फसल, पेड़—पौधें अथवा अन्य उत्पाद भी समझे जायेगें ।

इस भाग में "निर्माण कार्य" की परिभाषा

भाग 6

अधिकारिता और प्रक्रिया

36— (1) जब कभी {राज्य सरकार} विशेष आदेश द्वारा या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा, ऐसा निदेश दे, कलेक्टर किसी ऐसे लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिये, जिसके संबंध में कोई अनुमोदित योजना प्रकाशित की गई हो, ऐसा अभिलेख तैयार कर पुनरीक्षित करेगा, जिसमें निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई विषय उपदर्शित किये गये हों, अर्थात् :—

अधिकार अभिलेख का तैयार किया जाना

- (क) सिंचाई की प्रणाली या नियम ;
- (ख) जल के संबंध में अधिकार और वे शर्तें जिन पर ऐसे अधिकारों का उपभोग किया जाता है ;
- (ग) मिलों की संरचना, मरम्मत, पुनर्निर्माण तथा कार्यकरण के संबंध में अधिकार और वे शर्तें जिन पर ऐसे अधिकारों का उपभोग किया जाता है: और
 - (घ) ऐसे अन्य विषय जो {राज्य सरकार} नियमों द्वारा तदर्थ विहित करें ।
- (2) इस प्रकार तैयार या पुनरीक्षित किये गये अभिलेख में की गई प्रविष्टियां अभिलिखित विषयों के संबंध में किसी विवाद में साक्ष्य के रूप में सुसंगत होगी और जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय या उनके स्थान पर वैध रूप से कोई नई प्रविष्टि प्रस्थापित न कर दी जाये उनके लिये यह उपधारणा की जायेगी कि वे सत्य है :

प्रतिबंध यह है कि ऐसी किसी प्रविष्टि का अर्थान्वयन ऐसा नहीं किया जायेगा, जिससे कि इस अधिनियम द्वारा {राज्य सरकार} को प्रदत्त शक्तियों में से किसी का परिसीमन होता हो।

- (3) जब उपधारा (1) में उल्लिखित सभी विषयों को या उनमें से किन्हीं को उपदर्शित करने वाला अभिलेख भूमि मालगुजारी के किसी बन्देाबस्त में तैयार किया गया हो तो ऐसा अभिलेख इस धारा के अधीन तैयार किया गया समझा जायेगा।
- (4) प्रत्येक हितबद्ध व्यक्ति, कलेक्टर को या कलेक्टर के निदेश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन सही रूप से अभिलेख तैयार करने के लिये आवश्यक समस्त सूचना प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होगा ।
- (5) यूनाईटेड प्राविन्सेज लैन्ड, रेवन्यू ऐक्ट, 1901 के अध्याय 4 के उपबन्ध, यथाशक्य, ऐसे प्रत्येक अभिलेख की तैयारी तथा पुनरीक्षण के संबंध में लागू होगें ।

एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (काउन) के लिये प्रस्थापित, जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (गवर्नमेट) के लिये प्रस्थापित किया गया था ।

धारा 37-39}

37— (1) धारा 39 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, जब कभी इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे लघु सिंचाई निर्माण कार्य के, जिसकी बाबत कोई अनुमोदित योजना प्रकाशित की गई हो, इस अधिनियम के अधीन निर्माण या अनुरक्षण से उत्पन्न होने वाले या ऐसे निर्माण कार्य के संबंध में जारी किये गये किसी आदेश से उत्पन्न होने वाले किसी अधिकार या दायित्व के संबंध में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विवाद हो जाये तो कोई ऐसा व्यक्ति विवाद का विषय बताते हुये निर्माण कार्य के प्रभारी अधिकारी को लिखित रूप से आवेदन कर सकेगा।

गैर सरकारी व्यक्तियों के बीच विवादों का निपटारा

- (2) तदुपरान्त वह अधिकारी अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस देगा कि वह उस दिनांक को, जो नोटिस में उपदर्शित किया जायेगा, उक्त मामले में जांच की कार्यवाही करेगा ।
- (3) पूर्वोक्त अधिकारी जांच के लिये निश्चित दिनांक को या किसी पश्चातवर्ती दिनांक को विवादग्रस्त विषय को अवधारण करने वाला आदेश देगा जब तक कि वह उस मामले को कलेक्टर को अंतरित न कर दें (जैसा कि करने के लिये वह एतद्द्वारा सशक्त है), जो ऐसी दशा में उस मामले की जांच करेगा और अवधारण करने वाला आदेश देगा ।
- (4) उपधारा (3) के अधीन किसी आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जो कार्यवाही में पक्षकार है, उस क्षिति के लिये जो की गई है, किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के विरूद्व प्रतिकर अधिनिर्णीत किया जा सकेगा; और इस प्रकार अधिनिर्णीत कोई प्रतिकर, संबद्ध क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले राजस्व न्यायालय से आवेदन करके, ऐसे वसूल किया जा सकेगा मानो वह उस न्यायालय की डिग्री द्वारा अधिनिर्णीत किया गया हो ।
- (5) जल के उपयोग या वितरण के संबंध में निर्माण कार्य के प्रभारी अधिकारी या कलेक्टरों का आदेश, जहां तक कि वह उसके दिये जाने के समय बोयी गयी या उगती हुई किसी फसल का लागू होता हो, अंतिम होगा, और जहां तक कि वह किसी भावी फसल पर लागू होता हो, वह जब तक और जहां तक कि इस धारा के अधीन किसी नये विवाद में दिये गये किसी पश्चातवर्ती आदेश द्वारा या किसी सिविल न्यायालय द्वारा अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत किसी वाद या कार्यवाही में पारित किसी डिकी द्वारा रद्व न कर दिया जाये, प्रवृत्त बना रहेगा ।
- (6) उपधारा (5) के प्रयोजन के लिये किसी विवाद का नया विवाद उस दशा में समझा जायगा जब वह भिन्न या परिवर्तित परिस्थितियों से उत्पन्न हों ।
- 38— नार्दन इंडिया कैनाल एण्ड ड्रेनेज एक्ट, 1873 की धारा 7 से 13 तक के (जिनके अन्तर्गत ये दोनों धारायें भी है) उपबन्ध पूर्वोक्त धाराओं द्वारा प्रकल्पित विवरण की, और इस अधिनियम के अधीन किसी योजना के कार्यान्वयन से हुई, किसी रूकावट, कमी या हानि के लिये प्रतिकर की बाावत ऐसे लागू होगे मानो वे इस अधिनियम में अधिनियमित किये गये हों।

1873 का 8 जल के उपयोजन या उपयोग से हुई हानि के लिये प्रतिकर

39— (1) जहां कि किसी जलमार्ग के या किसी जलमार्ग के निर्माण द्वारा अपेक्षित किसी भूमि या भूमि के हित में, प्रतिकर के संदाय पर, अन्तरण का निदेश धारा 16 के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा दिया जाता है वहां कलेक्टर ऐसे आदेश से प्रभावित किसी व्यक्ति के आवेदन पर भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अधीन प्रतिकर अवधारित करने की कार्यवाही करेगा, किन्तु उस दशा में जब प्रतिकर पाने वाले वाला व्यक्ति ऐसी वांछा करें, वह ऐसा प्रतिकर अध्यासित या अन्तरितभूमि या जलमार्ग के सम्बन्ध में देय लगान—प्रभार के रूप में अधिनिर्णित कर सकेगा।

जलमार्गी के संबंध में प्रतिकर 1894 का1

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन अधिनिर्णित किसी धनराशि या लगान प्रभार का उसे पाने के लिये हकदार व्यक्ति द्वारा वैध रूप से मांगे जाने पर, भुगतान नहीं किया जाता तो उक्त धनराशि कलेक्टर द्वारा इस प्रकार वसूल की जायेगी मानो वह भूमि मालगुजारी का बकाया हो और वसूल हो जाने पर वह उसके द्वारा उस व्यक्ति को दे दी जायेगी, जो उसे पाने का हकदार हो ।

(धारा 40-46)

40— निर्माण कार्य को होने वाली किसी दुर्घटना के प्रभाव को रोकने या उसका उपचार करने के प्रयोजन के लिये लघु सिंचाई निर्माण कार्य की पार्श्वस्थ किन्ही भूमियों में धारा 16 (1) के खण्ड (घ) के अधीन किये गये प्रवेश के प्रत्येक मामले में प्रभारी अधिकारी उक्त भूमियों को पहुंची सम्पूर्ण क्षति के संबंध में उनके मालिको या अध्यासियों को प्रतिकार निविदत्त करेगा। यदि ऐसा निविदान स्वीकार न किया जाये तो प्रभारी अधिकारी उस मामले को कलेक्टर को निर्दिष्ट करेगा जो उस क्षति के लिये प्रतिकर अधिनिर्णित करने के संबंध में इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो {राज्य सरकार}² ने भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 ई0 की धारा 35 के अधीन भूमियों के अध्यासन का निदेश दिया हो।

धारा 16 (1) (घ) के अधीन प्रवेश करने के कारण हुई क्षति के लिये प्रतिकर 1894 का 1

41— जहां कि किसी लघु सिंचाई निर्माण कार्य के संबंध में इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों में से किन्ही के प्रयोग के कारण किसी व्यक्ति की धारा 9, 16 (2), 38, 39 (1) या 40 में निर्दिष्ट विवरण को क्षिति से भिन्न कोई क्षिति पहुँचे तो निर्माण कार्य का प्रभारी अधिकारी धारा 47 के अधीन तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये उस व्यक्ति को जिसे क्षिति पहुंची हो, समुचित प्रतिकर निविदत्त करेगा और प्रतिकर के रूप में निविदत्त धनराशि की पर्याप्तता के संबंध में विवाद होने की दशा में, वह उस मामले को निर्णय के लिये तुरन्त कलेक्टर को निर्दिष्ट करेगा और ऐसा निर्णय अन्तिम होगा।

अन्य मामलों में होने वाली क्षति के लिये प्रतिकर

42— इस अधिनियम के अधीन क्षति के लिये प्रतिकर का कोई दावा क्षति के पहुँचने के एक वर्ष के अवसान के पश्चात तब के सिवाय नहीं किया जायेगा जब कि दावेदार उक्त अविध के भीतर अपना दावा न करने का पर्याप्त कारण दर्शित करें।

क्षति के लिये प्रतिकर के दावों की परिसीमा

43— इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्ण की गयी या किये जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये {सरकार} के किसी अधिकारी के या {सरकार} के किसी अधिकारी के निदेशों के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

अधिकारियों के विरूद्व वादों का वर्णन

44— कोई अधिकारी, जो कोई जांच करने या प्रतिकर निर्धारित करने के लिये इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा सशक्त हों, साक्षियों को समन करने और उनकी परीक्षा करने से संबंधित ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा सिविल न्यायालयों को प्रदत्त है और ऐसी जांच या कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

साक्षियों को समन करने तथा उनकी परीक्षा लेने की शक्ति 1908 का अधिनियम संख्या

भाग 7

विविध

45— प्रत्येक निर्माण कार्य उन व्यक्तियों या प्राधिकारी में निहित समझा जायेगा, जिन्हें धारा 12 के अधीन अधिसूचित योजना के निबन्धनों द्वारा, तत्समय उनके निर्माण या अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया हो ।

निर्माण कार्यों का निहित होना

46— {राज्य सरकार}² इस अधिनियम के अधीन की अपनी शक्तियों में से किन्हीं शिक्तियों की राजस्व परिषद् का आयुक्त या अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी और ऐसी दशा में {राज्य सरकार}² के प्रति निर्देशों का अर्थान्वयन ऐसे किया जायेगा मानो वे यथास्थिति राजस्व परिषद् आयुक्त या अन्य अधिकारी के प्रति निर्देश हो ।

राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन

एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (काउन) के लिये प्रस्थापित, जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (गवर्नमेट) के लिये प्रस्थापित किया गया था।

^{2.} एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेंट) के लिये प्रस्थापित, जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेट) के लिये प्रस्थापित किया गया था ।

धारा 47}

- 47—— (1) {राज्य सरकार} इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये पूर्व प्रकाशन के पश्चात नियम बना सकेगी ।
- राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति
- (2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्ही विषयों के संबंध में बनाये जा सकेगें अर्थात् —
 - (क) इस अधिनियम के अधीन हाथ में लिये जाने वाले निर्माण कार्यों का स्वरूप, उनकी व्याप्ति और विस्तार ;
 - (ख) धारा 3 के अधीन किसी जांच का किया जाना तथा योजना का प्रारूप तैयार किये जाने से संबंधित अन्य विषय ;
 - (ग) धारा 4 तथा 11 के अधीन नोटिसों का प्रकाशन तथा उनका तामील किया जाना ;
 - (घ) योजना के प्रारूप में समाविष्ट की जाने वाली या उसके साथ प्रस्तुत की जाने वाली विशिष्टियों तथा दस्तावेज ;
 - (ङ) स्वामियों पर उदग्रहणीय उपशुल्क और उनके निर्धारण की रीति तथा भुगतान का समय;
 - (च) वह अधिकारी जिसकी धारा 20 के अधीन अपील की जा सकेगी ।
 - (छ) लगान में वृद्धि या कमी के लिये धारा 24 के अधीन की जाने वाली कार्यवाहियों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया ;
 - (ज) धारा 29 या 30 के अधीन {राज्य सरकार} के लिये धनराशियां वसूल करने वाले व्यक्तियों का परिश्रमिक, और वसूली में उचित रूप से किये गये व्ययो के लिये उनकी क्षतिपूर्ति ;
 - (झ) इस अधिनियम के अधीन {राज्य सरकार}¹ को प्रदत्त किन्हीं शक्तियों का उसके द्वारा प्रत्यायोजन ।
- (3) इस धारा के अधीन कोई नियम बनाते समय {राज्य सरकार} यह घोषित करता है कि ऐसे नियम का उल्लंघन इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय होगा ।
- (4) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम {सरकारी गजट}² में प्रकाशित किये जायेगें और इस प्रकार से प्रकाशित होने पर ऐसे प्रभावी होगें मानो वे इस अधिनियम के अधीन अधिनियमित किये गये हों ।

^{1.} एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेंट) के लिये प्रस्थापित जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेट) के लिये प्रस्थापित किया गया था ।

^{2.} एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1936 द्वारा ''गजट'' के लिये प्रतिस्थापित ।

THE UNITED PROVINCES MINOR IRRIGATION WORKS ACT, 1920¹ [U. P. ACT No. 1 OF 1920]

Application restricted by the U. P. Act no. XII of 1936²
Adapted and modified by the Government of India (Adaptation of Indian Laws) Order,

Adapted and modified by the Adaptation of Laws Order, 1950.

[Received the assent of the Lieutenant-Governor on the 30th April, 1920, and of the Governor General on the 1st June, 1920, and was published under section 81 of the Government of India Act on the 3rd July, 1920.]³

WHEREAS it is expedient to make provision for the construction, improvement and maintenance by Government of irrigation works on a smaller scale than that contemplated by the provisions of the Northern India Canal and Drainage Act, 1873; and whereas the previous sanction of the Governor General has been obtained under subsection (2) of section 79 of the Government of India Act, 1915;

It is hereby enacted as follows: --

PART I

PRELIMINARY

Short title and extent

- This Act may be called the United Provinces Minor Irrigation Works Act, 1920.
- (2) [It shall extend⁵ to the whole of Uttar Pradesh.]⁴

Definition

2.

- In this Act, unless there be something repugnant in the subject or context---
 - (1) "Construction" (with its grammatical variations and cognate expressions) includes improvement within a limited time and in a specific manner;
 - 1- For S.O.R. see Gaz, 1920, Pt. VII, p.73.
 - 2 The Provisions of this Act do not apply to State Tube-wells (see U. P. Act XII of 1936).
 - 3- See Gaz. 1920, Pt. VII, p. 695.
 - 4- Subs, for sub-section (2) of section 1 by the A.O. 1950.
 - 5- This Act has been extended to the areas mentioned in column 1 of this table under the Act or Order mentioned in column 2 and enforced in such areas under notification, if any, mentioned in column 3 with effect from the date mentioned in column 4 against each such area:

Area	Act or Order under which extended	Notification, if any, under which	Date from which enforced
		enforced	
1	2	3	4
1. Rampur district	Rampur (application of laws) Act, 1950		December 30, 1949
2. Banaras District	Banaras (application Laws) Order, 1949	Nos.3262 (1) and 3262 (2)/XVII dated Nov. 30.1949	November 30, 1949
3. Tehri-Garhwal district	Tehri Garhwal (Application of laws) Order, 1949	Ditto	Ditto

- (2) "Minor Irrigation work" or "work" means an irrigation, submersion, drainage or protective work or system of such works, natural or artificial, of which the construction or maintenance by the [State Government]¹ appears to that Government to call for action on a smaller scale than that contemplated by the Northern India Canal and Drainage Act, 1873;
- (3) "Owner" includes an under-proprietor, a permanent tenure-holder, a permanent lessee, a fixed rate tenant and a mortgagor or mortgagee in possession; but does not include a mortgagor or mortgagee out of possession or a lessee for a term of years, nor, where a superior and an inferior right of ownership coexist, the owner of the superior right.

PART II

PREPARATION OF SCHEME

Preliminary order of the State Government 3.

4.

5.

6.

The [State Government]¹ may direct the Collector or any other person to make inquiry whether it is desirable to undertake the construction or maintenance of a minor irrigation work of any description in any specified local area.

publication of preliminary order

- (1) The Collector shall, thereupon, publish a notice in the village or villages concerned specifying the place at which and the date (which shall not be earlier than forty-two days after the date of such publication) on which the inquiry shall be held, and shall also, subject to any rule made under section 47, cause a copy of the notice to be served on any owner whose land he believes to be likely to be affected by the proposed construction or maintenance.
- (2) The notice shall set forth the general character of the proposed construction or maintenance, and shall invite all persons having interests, likely to be affected thereby, to submit any objection or suggestion that they may desire to make on or before a date prescribed in the notice and to produce any evidence in support of such objection or suggestion on the date appointed for the holding of the inquiry.

Implied consent of owners

Every owner of land likely to be affected by such construction or maintenance who fails within the period allowed by the notice to submit any objection or suggestion in the manner prescribed shall be deemed for the purposes of this Act to have given his consent thereto.

Inquiry and report by the Collector

(1) If the Collector or other person appointed to make the inquiry, after considering any objection or suggestion duly submitted and taking such evidence as he thinks necessary, finds that the owners of at least one-half of the land likely to be affected by the construction or maintenance of the work consent, or are deemed to consent, to such construction or maintenance, he shall embody his proceedings in a report to be submitted to the [State Government] and shall in such report make proposals as to the manner in which the [State Government] is to be compensated or to recoup itself for any expenditure, whether capital or recurring, incurred by it.

^{1.} Subs. by the A. O.1950 for (Provl. Govt.) which had been subs. by the A. O. 1937 for (L. G.).

[The United Provinces Minor Irrigation Works Act, 1920]

[Section 7-10]

(2) If the owners of more than one-half of the land, affected or likely to be affected are opposed to the construction or maintenance of the work, a report to this effect only shall be submitted to the [State Government]¹.

Notification by 7. the State
Government directing draft scheme to be prepared

8.

9.

Upon receipt of the report referred to in sub-section (1) of the preceding section the [State Government] may, after such further inquiry, if any, as it thinks fit, publish a notification in the [Official Gazette], directing the preparation of a draft scheme of construction or maintenance, or of both.

Powers of officer preparing draft scheme Upon such publication, any officer empowered by the [State Government]¹ in this behalf by general or special order may enter, or depute any other person to enter upon, any lands within the area specified in section 3, or on any lands adjacent thereto, for the purpose of doing any act necessary in his opinion for the preparation of the draft scheme, provided that reasonable notice shall be given before entry is made into any building or any enclosed court or garden attached to a dwelling house.

Compensation for damage caused by entry under section 8 In case of entry under section 8, the officer empowered under that section shall, at the time of such entry, tender compensation for any damage which may be occasioned by any proceeding under that section and in case of dispute as to the sufficiency of the amount so tendered, he shall forthwith refer the same for decision by the Collector, and such decision shall be final.

Draft Scheme

- 10. (1) The Officer empowered by the [State Government]¹ under section 8 shall submit a draft scheme to the state Government and such scheme shall, so far as he deems necessary, embody the following particulars and be accompanied by the following documents, namely:--
 - (a) A specification and plan of the work which it is proposed to maintain and an estimate of the capital or recurring expenditure involved thereby;
 - (b) The estimated time required for the completion of a scheme of construction;
 - (c) A statement detailing----
 - (i) the land and interests in land which in his opinion it will be necessary to acquire in order to carry out the scheme;
 - (ii) the portion of such land and interests therein which can be acquired by negotiation;
 - (iii) the portion of such land and interests therein which it will be necessary to acquire under the Land Acquisition act, 1894; and
 - (iv) an estimate in each as of the expenditure required for the purpose of acquisition;

Act I of 1894

¹⁻ Subs. by the A.O. 1950 for (provincial Govt.) which has been subs. by the A.O. 1937 for (L.G.).

²⁻ Subs. For "Gazette" by A.O. 1937

- (d) The extent to which it will be necessary, his opinion, to make compensation for damage caused to property by the carrying out of the scheme and the expenditure required for this purpose;
 - (e) The area which will be benefited by the Scheme;
 - (f) The method of management of the work;
- (g) With reference to section 19, the method or methods by which the [State Government]¹ will be recouped or compensated for expenditure incurred by it;
 - (h) Where all or any of the owners within the benefited area agree-----
 - (i) to make themselves responsible to the [State Government]¹ for any expenditure incurred by the [State Government]¹ from time to time in the execution of the scheme or for interest at a specified rate thereon, or for both, or
 - (ii) to pay any fixed contract sum or sums along with interest at a specified rate on arrears thereof to the [State Government]¹ for the execution by the State Government of the schemes.

An agreement to either effect executed by such owner;

- (i) the description of any river or stream flowing in a natural channel, or of any lake or other natural collection of still water, whereof the water should be applied or used for the purpose of the work;
 - (i) any other matter which is required by the circumstances of the case.
- (2) Such scheme shall also embody any particulars and be accompanied by any documents required by any rule made under section 47.
- (3) Any agreement referred to in clause (h) of sub-section (1) may provide that on payment of the amount expressed therein the work shall vest in and be maintained by the owners executing the agreement, subject to the provisions of Part III.

Publication of draft scheme

- 11. (1) When the draft scheme has been prepared to the satisfaction of [the State Government]¹ a notice, giving such particular as are required by rule in this behalf and stating at what place and times the scheme will be open to inspection, shall be published by affixing a copy of the notice in a prominent place in each village of which the land is, in the opinion of the Collector, likely to be affected by the scheme carried out.
 - (2) The Collector may also serve notice to the same effect on any owner or occupier of land likely to be affected by the scheme or on the agent of such owner or occupier.
 - (3) On publication of the notice under sub-section (1) any person likely to be affected by the scheme may, within one month from the date of such publication, present in writing to the Collector any objection which he may have to the scheme.

(4) The Collector shall forward to the [State Government]¹ all objections which may be presented to him together with any remark that he may desire to make in respect of such objection.

Adoption by the State Government of approved scheme 12. (1) After such modification of the draft scheme as appears to be required by any objection made under the previous section the [State Government]¹ may, if it thinks fit to proceed with the scheme, notify the same as approved by publication in the [Official Gazette]² and thereafter it shall be entitled to carry out such approved scheme in accordance with the provisions of this Act.

Provided that if the scheme has, in the opinion of the [State Government]¹ been substantially altered, the provisions of section 11 shall apply to the amended scheme.

(2) The publication under sub-section (1) of a scheme as approved shall be conclusive proof of the fact that any consent recorded therein has been duly obtained, that the scheme will benefit the area specified therein in that behalf (hereinafter called the benefited area), and that the scheme has in all respects been duly prepared and approved.

Operation of a notified scheme as a notification under section 5 of the Act, VIII of 1873 13. The intimation in a scheme notified under sub-section (1) of section 12 of the intention to apply or use the water of any river or stream flowing in a natural channel, or of any lake or other natural collection of still water, for the purpose of the work to which the scheme relate, shall operate as a notification under section 5 of the Northern India Canal and Drainage Act, 1873 declaring that the said water will be so applied or used on the expiration of three months from the date of the notification.

Modification of approved scheme or substitution of new scheme 14.

- (1) The [State Government]¹ may from time to time modify any approved scheme notified under section 12 or substitute another scheme in its stead, and the provisions of this Act applicable to a scheme notified under section 12 shall thereafter be applicable to any scheme so modified or substituted:
- (2) Provided that any consent, publication or other thing required by this Act in respect of a scheme shall be necessary also in respect of the alteration of scheme or the substitution of a new scheme for an existing one.

PART III

CONSTRUCTION AND MAINTENANCE

Appointment Of Officer-In-Charge 15. The [State Government]¹ may by general or special order, appoint an officer (hereinafter called the officer in charge) to be in-charge of the construction or maintenance of a minor irrigation work in respect of which an approved scheme has been published.

¹⁻ Subs. by the A. O. 1950 for (Provincial Government) which had been subs. by the A. O. 1937 (for Government).

^{2 -} Subs for "Gazette" by A. O. 1937

[Section 16]

Powers of officer-in-charge

- 16. (1) The officer in charge and any officer to whom he is subordinate shall have the following powers; namely:--
 - (a) To exercise, with reference to the work, the powers conferred by section 6 of the Northern India Canal and Drainage Act, 1873;
 - (b) To prohibit by order in writing any person from doing anything which in his opinion diminishes or is likely to diminish, the efficiency of the work:
 - (c) To require by order in writing any owner or occupier of land within the benefited are a to take or permit such action in respect of any property therein belonging to him or in his possession as may appear necessary for the preservation or maintenance of the work or may appear to be necessary for the purpose of increasing or extending within the benefited area, by means of distributaries or otherwise, the benefit of the work;
 - (d) To enter or authorize any other person to enter upon any land for the purpose of construction or maintaining the work, or of preventing or remedying the effect of any accident to the same, or of inspecting or regulating the use of the water supplied, or of measuring lands irrigated by the work or chargeable with any water rate or other sum, or of doing any other thing necessary for the proper regulation and management of the work;
 - (e) To require in cases of urgency, any owner or occupier of land receiving benefit from the work to assist in procuring at market rates such labour as may be necessary for the preservation or maintenance of the work;
 - (f) To do or prevent being done anything in respect of which an order has been issued by him under clauses (b) and (c), provided that the person so ordered has failed to obey the order within the time specified in the order, and provided also that no action shall be taken under this Clause in respect of an order issued under clause (c) until such order has become final under section 17;
 - (g) If a divisional canal officer, to issue an order in writing to the persons using any water course to construct suitable bridges, culverts or other works for the passage of the water of such water course across any public road, canal or drainage channel in use before the said water course was made, or to repair any such works, and on the failure of the person to whom the order has been issued to comply within a reasonable time, himself to take the required action at the cost of such person which shall be recoverable under section 28.
 - (2) The power conferred by clause (c) of sub-section (1) shall include the power' to order the transfer by one person to another, on the payment of compensation to be determined in the manner described in section 40, of a water course, or of any land or right in land required for the construction of a water course.

Appeal against order of officer-in-charge

- 17. (1) Orders issued by the officer in charge under section 16 shall be subject to appeal in writing made within fifteen days to such officer or officers as the [State Government]¹ directs by rule, but unless appealed against in the prescribed manner shall be final.
 - (2) The order of the appellate authority shall be final.

Land Acquisition Act, I of 1894

- 18. (1) Any land or interest in land which, in the opinion of the [State Government]¹ it is necessary to acquire in pursuance of a scheme notified under section 12 shall for the purposes of the Land Acquisition Act, 1894 be deemed to be required for a public purpose.
 - (2) For the purposes of sub-section (1) of section 23 of the said Act the market value of such land at the date of the publication of the declaration relating thereto under section 6 of that Act shall be deemed to be the market value at the time of the issue of the preliminary order under section 3 of this Act.

PART IV

RECOVERY OF EXPENDITURE

Alternative modes of recoupment by the State Government

19.

The [State Government]¹ may compensate or recoup itself for any expenditure which it incurs, or agrees to incur in the carrying out of any approved scheme of construction or maintenance, or of both in anyone or more of the following methods, namely:

- (a) by the levy from the owners of land within the beneficed area, whether such benefit takes the form of direct irrigation, percolation, submersion. Improvement of the water-supply in wells or drainage of excessive water or otherwise, of a uniform rate or of differential rates imposed on such a land in accordance with rules made by the [State Government]¹:
- (b) by the recovery from any owners executing an agreement under clause (h) (i) or clause (h) (ii) of sub-section (1) of section 10 of any sums due thereunder; or
- (c) by the realization of miscellaneous income arising from the management by the [State Government]¹ of the work.

Appeal against rates

- 20. (1) An appeal against the assessment or levy of any rate under this Act shall lie to such officer as is empowered by rule in this behalf.
 - (2) In every appeal the costs shall be at the discretion of the officer deciding the appeal.
 - (3) Cost awarded under this section against the appellant shall be recoverable as though they were an arrear of land revenue due from the appellant.

¹⁻ Subs. by the A. O. 1950 for (Provincial Government) which had been subs. by the A. O. 1937 (for Government).

[Section 21-27]

Limitation of appeal

21. No appeal shall lie in respect of any rate unless it is preferred within thirty days from the time when the demand or the rate is first made.

Exclusion of jurisdiction of ordinary courts

22. No objection shall be taken to any assessment, nor shall the liability of any person to be assessed or rated be questioned in any other manner, or by any other authority, than is provided in or under this Act:

Provided that nothing in this section shall prevent any person from obtaining declaration in the civil court that he is not liable to such assessment on the ground that he is not the owner of the land in respect of which the assessment has been made, and the assessing officer shall be bound by such declaration.

Rate by whom payable when charged on land held by several occupiers

23.

Where a rate is charged on land held by several joint owners it shall be payable by the manager or other person who receives the, rents or profits of such land, who may recover from such joint owners any sums so paid on their behalf.

Enhancement and abatement of rent

- 24. (1) Notwithstanding anything contained in any enactment to the contrary, but subject to any rules made in this behalf, where benefits are received for a minor irrigation work constructed or maintained under this Act, such benefits, whether due to the supply of direct irrigation or to percolation, submersion, improvement of the water-supply in wells or drainage of excessive water or otherwise, shall be deemed a ground for enhancement of rent.
 - (2) In like manner, the loss or discontinuance of any benefits received from a minor irrigation work shall be deemed a ground for abatement of rent.

Procedure in enhancement and abatement

25. Except as may be otherwise provided by rules made under section 47, all claims under the preceding section in any local area shall be made by suit to be instituted in a revenue court empowered to try suits for the enhancement or abatement of rent in such local area, and the court shall in the trial of such suit follow the procedure prescribed for the trial of suits for the enhancement or abatement of rent in such local area.

Apportionment of charges due under clause (b) of section 19

Where any sum is recoverable under clause (b) of section 19 from owners for the time being of land within the benefited area they shall be jointly and severally liable for the same.

Enforcement of agreement previous to Act

27. (1) All agreements made within a period of twelve years prior to the date on which this Act comes into force regarding the construction, repair and maintenance of a minor irrigation work which might. have been constructed or maintained under this Act, had it been in force, shall, so far as the terms thereof are consistent with this Act, be deemed to have been made under this Act, and shall have force accordingly.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to any such agreement in respect of a minor irrigation work unless and until the [State Government]¹ declares the work by notification in the [official Gazette]² to be subject to the provisions of this [section]³.

Certified dues and debts recoverable as land revenue

28.

Any sum lawfully due under this Act and certified by the Officer in charge to be so due and any sum not otherwise recoverable under this Act but due under an agreement referred to in section 27 which remains unpaid after the day on which it becomes due shall be recoverable by the Collector from any person liable for the same as if it were an arrear of land revenue.

Power to contract for collection of dues

- 29. (1) The officer-in charge or the Collector may enter into an agreement with any person for the collection and payment to the [State Government]¹ by such person of any sum payable under this Act by a third party.
 - (2) When such agreement has been made, such person may recover such sum by suit as though it were an arrear of rent due to him on account of the land in respect of which such sum is payable or water shall have been supplied or used.
 - (3) If such person makes default in the payment of any sum to be collected by him under this section, such sum may be recovered from him by the Collector under section 28 and if such sum or any part of it be still due by the said third party, the sum or part so due may be recovered in like manner by the Collector from such third party.

Lambardars may be required to collect dues

- 30. (1) In the absence of an agreement made under section 29 with any other person the Collector may require the lambardar of any mahal to collect and pay any sums payable under this Act by a third party in respect of any land or water in such mahal and in the event of his failing to pay any sum so required may receiver it from him as an arrear of land revenue.
 - (2) Where a lambardar is required to pay any sum under sub-section (1), all the provisions of law for the time being applicable to the recovery by him or by the Collector on his be half of land revenue and remuneration fees from any third party shall apply to the recovery of sums from any third party liable for the same as if they were enacted in this Act.

Saving in respect of fines

31. Nothing in sections 28, 29 and 30 applies to fines.

Subs. by the A.O. 1950 for (Provincial Government) which had been subs, by the A. O. 1937 for (L. G.).

²⁻ Subs. for "Gazette" by A. O. 1937.

³⁻ For notifications under this sec. consult S. O. R.

PART V

PENALTIES AND PREVENTIVE ACTION

Offences

- Whoever without proper authority, and voluntary, does any of the following acts namely-
 - (1) damages, alters, enlarges or obstructs any work;
 - (2) interferes with, increases or diminishes the supply of water in or the flow of water from, through, over or under any work;
 - (3) being responsible for the maintenance of any work or of any part thereof or using any work or any part thereof, neglect, to take proper precautions for the prevention of waste of the water thereof, or interferes with the authorized distribution of water there from or uses such water in an unauthorized manner;
 - (4) corrupts or fouls the water of any work so as to render it, less fit for the purpose for which it is ordinarily used;
 - (5) destroys or moves any level mark or water gauge fixed by the authority of a public servant;
 - (6) passes or causes animals or vehicles to pass on or across any work, contrary to rules made under this Act:
 - (7) violates any rule made under this Act the breach of which is declared to be punishable, or disobeys any lawful order of Collector or other officer:

shall be liable on conviction before a magistrate, to imprisonment for a period not exceeding one month or to a fine not exceeding fifty rupees or, where the offence is a continuing one, to a further fine which may extend to ten rupees for every day on which the offence continues after the date of first conviction.

Saving

33. Nothing herein contained shall prevent any person being prosecuted under any other law for any offence punishable under this, Act, provided that no person shall be punished twice for the same offence.

Summary arrest 34.

Any person in charge of or employed upon any work may remove from the lands or buildings belonging thereto or may take into custody without a warrant and take (or send) forthwith to a magistrate or to the nearest police station to be dealt with according to law, any person who within his view commits any of the following offences:

- (a) wilfully damages or obstructs any work;
- (b) without proper authority interferes with the supply or flow of water to or from any work so as to endanger, damage or render less useful such work.

35.

[Section 35-36]

Definition of "work" in this part

In this part the word "work" shall be deemed to include all lands occupied by [the Government]¹ for the purpose of a minor irrigation work in respect of which an approved scheme has been published and all buildings, machinery, fences, gates and other erections, trees, crops, plantations or other produce, occupied by or belonging to [the Government] upon such lands.

PART VI

JURISDICTION AND PROCEDURE

Preparation of record of rights

- (1) The Collector shall, whenever the [State Government]¹ by special order, or by rules made under this Act, so directs, prepare or revise for any minor irrigation work in respect of which an approved scheme has been published a record showing all or any of the following matters, namely: --
 - (a) the custom or rule of irrigation;
 - (b) the rights to water and the conditions on which such rights are enjoyed;
 - (c) the rights as to the erection repair, reconstruction, and working of mills and the conditions on which such rights are enjoyed; and
 - (d) such other matters as the [State Government]¹ may by rule prescribe in this behalf.
- (2) Entries in the record so prepared or revised shall be relevant as evidence in any dispute as to the matters recorder and shall be presumed to be true until the contrary is proved or a new entry is lawfully substituted therefor:

Provided that no such entry shall be so construed as to limit any of the powers conferred on the [State Government]¹ by this Act.

- (3) When a record showing all or any of the matters enumerated in sub-section (1) has been framed at any settlement of the land revenue such record shall be deemed to have been made under this section.
- (4) Every person interested shall be bound to furnish to the Collector, or to any person acting under the direction of the Collector all information necessary for the correct preparation of a record under this section.

U.P. Act no. III of 1901

(5) The provisions of Chapter IV of the United Provinces Land Revenue Act, 1901, shall so far as may be, apply to the preparation and revision of every such record.

¹⁻ Subs by the A. O. 1950 for (the Crown) which had been subs by the A. O. 1937 for (Government).

[Section 37-39]

Settlement of disputes between private persons

- 37. (1) Subject to the provisions of section 39, whenever a dispute arises between two or more persons in regard to any right or liability arising from the construction or maintenance under this Act of a minor irrigation work in respect of which an approved scheme has been published, or arising from the issue of any order under this Act in respect of such work, any such person may apply in writing to the officer-in-charge of the work stating the matter in dispute,
 - (2) That officer shall thereupon give notice to the other persons interested that, on a day to be named in the notice, he will proceed to inquire into the said matter.
 - (3) On the day fixed for the inquiry, or on any subsequent day, the aforesaid officer shall pass an order determining the matter in dispute, unless he transfers (as he is hereby empowered to do) the, matter to the Collector who, in such case, shall inquire into and pass an order determining the said matter:
 - (4) An order under sub-section (3) may award, compensation to any person who is a party to the proceedings against any other such person for any injury sustained, and any compensation so awarded shall be recoverable upon application made to the revenue court having jurisdiction in the area concerned as if it had been awarded by a decree of that court.
 - (5) The order of the officer-in-charge of the work or of the Collector as to the use or distribution of water shall be final so far as it applies to any crop sown or growing at the time when such order is made, and so far as it applies to any future crop shall remain in force until and except so far as it is set aside by subsequent order passed in a fresh dispute under this section or by a decree of a civil court passed in a suit or proceeding within its jurisdiction.
 - (6) For the purpose of sub-section (5) a dispute shall be deemed to be a fresh dispute when it arises out of different or changed circumstances.

Compensation for damage caused by the application or use of water Act 8 of 1873 38. The provisions of sections 7 to 13 (inclusive) of the Northern India Canal and Drainage Act, 1873, shall be applicable as if they were enacted in this Act, in respect of compensation for any stoppage, diminution or damage of the description contemplated by the aforesaid sections and caused by the carrying out of any scheme under this Act.

Compensation relating to water courses

- 39. (1) Where the transfer of any water course or of any land or interest in land required for the construction of a water course is directed by an order, made under section 16, upon payment of compensation, the Collector shall, on the application of any person affected by such order, proceed to determine the compensation under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894; but he may, if the person to be compensated so desires, award such compensation in the form of a rent-charge payable in respect of the land or water course occupied or transferred.
 - (2) If any sum or rent-charge awarded under sub-section (1) is not paid when lawfully demanded by the person entitled to receive the same, the amount shall be recovered by the Collector as if it were an arrear of land revenue, and shall, when recovered, be paid by him to the person entitled to receive the same.

40.

[Section 40-46]

In every case of entry under clause (d) of section 16 (1) upon any lands adjacent to a minor irrigation work for the purpose of preventing or remedying the effect of any accident to the work, the officer in-charge shall tender compensation to the proprietors or occupiers of the said lands for all damage done to the same. If such tender is not accepted, the officer in charge shall refer the matter to the Collector, who shall proceed to award compensation for the damage as though the [State Government]² had directed the occupation of the lands under section 35 of the Land Acquisition Act, 1894.

for

cases

Compensation 41. damage caused in other

43.

44.

46.

Where any damage, other than damage of the description referred to in sections 9, 16 (2), 38, 39,(1) or 40 is caused to a person by the exercise, with reference to a minor irrigation work, of any of the powers conferred by this Act, the officer in-charge of the work shall, subject to any rules made under section 47 in this behalf, tender reasonable compensation to the person sustaining, the damage and, in case of dispute as to the sufficiency of the amount tendered, he shall forthwith refer the matter for decision to the Collector, and such decision shall be final.

Limitation of claims for compensation for damage

42. No claim for compensation for damage under this Act shall be made after the expiration of one year from the accrual of the damage, unless good cause is shown by the claimant for not making his claim within that period.

Bar to suits against officers

No suit or other legal proceeding shall lie against any officer of [the Government] or person acting under the directions of an officer of [the Government]¹ for anything done or intended to be done, in good faith under this Act.

Power to summon and examine witnesses Act V of 1908

Any officer empowered by or under this Act to conduct any inquiry or to assess compensation may exercise all such powers connected with the summoning and examining of witnesses as are conferred on civil courts by the Code of Civil Procedure, 1908, and the inquiry or proceeding shall be deemed a judicial proceeding.

PART VII

MISCELLANEOUS

Vesting or work

45. Every work shall be deemed to be vested in the persons or authority for the time being entrusted with the construction or maintenance thereof by the terms of a scheme notified under section 12.

Delegation of power by the State Government

The [State Government]² may delegate any of its powers under this Act to the Board of Revenue or to the Commissioner or other officer, and in such case references to the [State Government]² shall be construed as references to the Board of Revenue, the Commissioner; or other, officer, as the case may be.

Subs. by A. O. 1950 for (the crown) which had been subs. by the A. O. 1937 for (Govt.).

Subs. by the A. O. 1937 for Gazette.) which had been subs. by the A. O. 1937 for (L.G.).

[Section 47]

Power of State Government to make rules

- 47. (1) The [State Government]¹ may, after previous publication make rules to carry out the purposes of this Act.
 - (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing Power such rules may be made as to all or any of the following matters, namely—
 - (a) the nature, scope and extent of works to be undertaken under this Act:
 - (b) the conduct of an inquiry under section 3 and other in matters relating to the preparation of a draft scheme;
 - (c) the publication and service of notices under sections 4, and 11;
 - (d) the particulars and documents to be embodied in or submitted with a draft scheme;
 - (e) the rates leviable from owners and the method of assessing the same and time of payment;
 - (f) the officer to whom an appeal shall lie under section 20;
 - (g) the, procedure to be adopted in proceedings held under section 24 for the enhancement or abatement of rent;
 - (h) the remuneration of persons collecting sums for the [State Government]¹ under section 29 or 30 and their indemnification against expenses properly incurred in collection;
 - (i) the delegation by the [State Government] of any power conferred upon it under this Act.
 - (3) In making any rule under this section the [State Government]¹ may declare that a breach of such rule is punishable under this Act.
 - (4) All rules made under this section shall be published in the [official Gazette]², and, on such publication, shall have effect as if enacted in this Act.

^{1.} Subs. by the A. 0.1950 for [Provincial. Government.) which had been subs. by the A. O. 1937 for (L.G.)

^{2.} Subs. by the A. O. 1937 for Gazette..)